

पत्रांक-08 / RTE 15-10 / 2025-332/

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

औपचारिक रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना दिनांक :- 20/01/2026

विषय :- राज्य योजनान्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अधीन कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के नामांकित छात्र/छात्राओं के नामांकन के एवज में संबंधित निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्र/छात्राओं की प्रविष्टि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित एवं स्वीकृत कुल राशि 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) मात्र में से शेष 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अधीन कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के नामांकित छात्र/छात्राओं के नामांकन के एवज में संबंधित निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्र/छात्राओं की प्रविष्टि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित कुल राशि 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति एवं तत्काल 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. "बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009", 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 38 के अधीन "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011", राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी है। इस नियमावली के सफल क्रियान्वयन ही इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन कर उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उनकी पूर्णता तक प्रदान किया जाना है।

अ

3. बिहार राज्य अंतर्गत बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 08 के आलोक में प्रति छात्र/छात्रा के लिए कंडिका-15 के कॉलम-3 में अंकित राशि अथवा संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रति वर्ष कुल शुल्क का 50 प्रतिशत की राशि, में से जो कम हो, का भुगतान किया जाएगा। पुस्तकालय, विकास मद एवं अन्य मद में छात्र/छात्राओं से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही इन शुल्कों की प्रतिपूर्ति सरकार के स्तर से की जाएगी। इन शर्तों के साथ निर्धारित दर के अनुसार राशि की निकासी की जा रही है।

4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (12)(1)(c) के तहत राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के एवज में संबंधित विद्यालयों को DBT के माध्यम से प्रतिपूर्ति की राशि देने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु ज्ञानदीप पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके तहत संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को सीधे राशि अंतरित की जानी है।

5. ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय एवं संबंधित छात्र/छात्राओं की अभिलेख की जाँच विभागीय पत्रांक 1117 दिनांक 18.12.2024 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश एवं संबंधित गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं प्रभारी पदाधिकारी, DBT शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा।

6. निजी विद्यालयों के प्रबंधक/प्राचार्य के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (12)(1)(c) के तहत 25 प्रतिशत बच्चों के लिये गये नामांकन की विवरणी का सभी आवश्यक अभिलेख ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसके जाँचोपरांत प्रवृत्त विभागीय नियमानुसार संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि अंतरित की जा सकेगी।

7. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय जिसे सरकारी जमीन प्राप्त है या सरकार से अन्य कोई अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उसे प्रतिपूर्ति की राशि देय नहीं होगा।

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध है। इस बजटीय उपबंध में से शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्र/छात्राओं की प्रविष्टि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित एवं स्वीकृत कुल राशि 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) मात्र में से शेष 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति का प्रस्ताव है।

9. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध है। इस बजटीय उपबंध में से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्र/छात्राओं की प्रविष्टि के आधार पर उपबंधित एवं स्वीकृत कुल राशि 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) मात्र में से शेष 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित एवं स्वीकृत कुल राशि 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रुपये) मात्र में से इस योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21,



2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए स्वीकृत्यादेश संख्या 237 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा 13,00,00,000 /- (तेरह करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

11. राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के योजना आय-व्यय के माँग संख्या-21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष-0102-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि विपत्र कोड-21-2202011020102, विषय शीर्ष-0102.31.06-सहायक अनुदान- गैर वेतन के अन्तर्गत उपबन्धित 20,00,00,000 /- (बीस करोड़ रुपये) राशि में से शेष कुल राशि 7,00,00,000 /- (सात करोड़ रुपये) मात्र का विकलन किया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि का आवंटन उप निदेशक (प्रशासन)-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार को निर्गत किया जाएगा।

13. उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि की निकासी CFMS के तहत उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा BTC-FORM-42 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा।

14. उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी SBI बैंक खाता संख्या-42410566499 IFSC Code - SBIN0000153, Branch Name- Sinchai Bhawan, Old Secretariat, Patna में की जायेगी एवं उक्त खाता से प्रस्वीकृति प्राप्त संबंधित विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि का अंतरण DBT के माध्यम से किया जाएगा।

15. वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्र/छात्राओं की प्रविष्टि के आधार पर स्वीकृत राशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	वित्तीय वर्ष	प्रति बच्चा दर (रुपये में)	छात्र/छात्राओं की संख्या	छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
01	2019-20	11,490	32,307	7,00,00,000 /-
02	2020-21	10,930	46,838	
03	2021-22	11,490	54,684	
04	2022-23	11,490	63,766	
05	2023-24	11,490	72,794	
कुल				7,00,00,000 /-(सात करोड़ रुपये)

Jun

16. अवितरित राशि को उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् समर्पित किया जाएगा।

18. वित्त विभाग के पत्रांक 4792/वि०, दिनांक 04.08.2021 में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में पार्क नहीं किया जाएगा।

19. इस मद की राशि का विकलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

20. राशि की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या-08/ RTE 15-10/2025 के 29/टि० पर प्राप्त है।

21. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

22. वित्त विभागीय पत्रांक 12888 दिनांक 05.12.2024 की कंडिका 5 (ख) (ii) के आलोक में उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

23. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-08/ RTE 15-10/2025 के पृ० 24/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव

ज्ञापांक-08/ RTE 15-10/2025/ पटना, दिनांक-...../
प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
ज्ञापांक-08/ RTE 15-10/2025/ पटना, दिनांक-...../
प्रतिलिपि- वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

ज्ञापांक-08 / RTE 15-10 / 2025 ...332/

पटना, दिनांक- 20/01/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना /
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग / बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग / प्रभारी
पदाधिकारी, डी०बी०टी० कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी-05, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं
लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव

